भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर पी.डी.पी.एम.
Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing Jabalpur PDPM
(संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट ऑफिस: खमरिया, जबलपुर - 482005, मध्य प्रदेश, भारत
फ़ोन: +91-761- 2794123, +91-761- 2794025 फ़ैक्स: +91-761 2794094
ई-मेल: registrar@iiitdmj.ac.in

ईओआई सं..: **IIITDMJ/DSA/EOI/2024/02/**	दिनांक **: 14.02.2024**

निम्नलिखित **के संचालन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)** :

1) **नॉन-वेज और ब्रेकफ़ास्ट कॉर्नर**
2) **किरा**ना की **दुकान**
3) **फल एवं फलों का रस/सब्जियां**
4) स्टेशनरी की **दुकान**
5) **चाय/कॉफ़ी की दुकान**

आईआईआईटीडीएम **जबलपुर के हॉल-I के** निकट

रुचि की **अभिव्यक्ति (ईओआई) की समयसीमा**	
संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि	14-फरवरी-2024
ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि और समय	01-मार्च-2024 (04.00 अपराह्न)
पारस्परिक संवाद करने की तिथि और समय	06-मार्च-2024 (11.00 पूर्वाह्न) [संभावित]

संस्थान की वेबसाइट: https://www.iiitdmj.ac.in

[किसी भी संशय की स्थिति में इस EOI का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा]

कुल 14 पृष्ठ हैं

पीडीपीएम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान,
अभिकल्पन एवं विनिर्माण, जबलपुर

दिनांक:

रुचि की अभिव्यक्ति

1) नॉन-वेज और ब्रेकफास्ट कॉर्नर 2) किरानाकी दुकान 3) फल और फलों के जूस/सब्जी की दुकान 4) स्टेशनरी की दुकान 5) चाय/कॉफी की दुकान को अगले दो वर्षों हेतु संचालन करने के लिए अनुलग्नक-**1** में कार्य के दायरे, अनुलग्नक-2 में दिये गये नियम और शर्तों के अनुसार मोहरबंद रुचि की अभिव्यक्ति(ईओआई) आमंत्रित की जाती है। आबंटित की जाने वाली दुकान का कुल क्षेत्रफल 149.5 वर्गफुट है। अनुभव प्रमाण पत्र, प्रशंसापत्र और उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि दिखाने वाले दस्तावेजों के साथ दिए गए प्रारूप (अनुलग्नक -3) में ईओआई को **01-मार्च-2024 (04.00 अपराह्न)** अथवा उससे पहले संस्थान सम्मेलन हॉल के बाहर उपलब्ध कोटेशन बॉक्स में डाला जाना है।

इच्छुक फर्मों को सूचित किया जाता है कि वे अपने दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ **06-मार्च-2024 को** प्रात: **11.00 बजे से** प्रशासनिक ब्लॉक के संस्थान सम्मेलन हॉल में **एक समिति के समक्ष बातचीत के लिए व्यक्तिगत रूप से आएं।**

कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1) निदेशक---कृपया सूचनार्थ।
2) सभी पीआईसी/सभी विभागाध्यक्ष /एफआईसी
3) कुलसचिव--कृपया सूचनार्थ
4) संकाय के सभी सदस्य
5) सभी उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/सहायक लाइब्रेरियन/ईई (सिविल)
6) सभी वार्डन/एसोसिएट वार्डन
7) प्रभारी : वेबसाइट

पीडीपीएम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान,
अभिकल्पन एवं विनिर्माण, जबलपुर

कार्य का दायरा

1.1 चयनित फर्म को विद्यार्थियों, कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर की दुकान का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी।

1.2 आबंटन की अवधि 02 वर्ष होगी, संतोषजनक सेवाओं पर इसे 02 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

1.3 किसी भी बिक्री के लिए सभी ग्राहकों को कम्प्यूटरीकृत रसीद प्रदान की जानी चाहिए।

1.4 रविवार (यदि आवश्यक हो) को छोड़कर पूरे सप्ताह 'नॉन-वेज और ब्रेकफास्ट कॉर्नर' को छोड़कर सभी दुकानें **प्रात: 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक** खुलेंगी। **'नॉन-वेज** एवं **ब्रेकफास्ट कॉर्नर' दुकान नं. 01** के खुलने का समय **प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक होगा।** विशिष्ट दिनों में खोलने में असमर्थता के मामले में, चयनित फर्म को संकाय प्रभारी (विद्यार्थी मामले) [एफआईसी (एसए)] से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए। ऐसा न करने पर चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे प्रत्येक वाकया के लिए रु. 500/- जुर्माना होगा।

1.5 चयनित फर्म संस्थान द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अगले 15 दिनों के भीतर दुकान चलाना शुरू कर देगी। यदि चयनित फर्म निर्धारित समय के अंदर दुकान शुरू करने में विफल रहती है **तो** बिना किसी सूचना के प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा।

1.6 चयनित फर्म केवल उन्हीं वस्तुओं की बिक्री करेगी और सेवाएं देगी जो समिति द्वारा अनुमोदित हैं। सूची में किसी भी नई वस्तु को जोड़ने के लिए समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी से अलग से अनुमोदन लिया जाना चाहिए।

1.7 चयनित फर्म दुकान के बाहर उचित स्थान पर वस्तुओं की अनुमोदित दर सूची प्रदर्शित करेगी।

1.8 दुकान में किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य एमआरपी से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. सामान्य नियम और शर्तें

जबकि पीडीपीएम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर जिसे बाद में संस्थान अथवा लाइसेंसकर्ता के रूप में जाना जाता है, इस ईओआई में उल्लिखित शर्तों के अधीन लाइसेंसधारी को लाइसेंस देने के लिए सहमत हो गया है। इसके बाद लाइसेंसधारी को चयनित फर्म के रूप में जाना जाएगा, उसे हॉल ऑफ रेजिडेंस-I के निकट परिसर में उपर्युक्त दुकानों को चलाने के लिए रु.1,500/- (प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक हजार पांच सौ रुपये) का मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

1. अनुबंध की अवधि 24 महीने होगी - पहले 03 महीने परिवीक्षा पर होंगे, जिसकी संतुष्टि पर अनुबंध स्वचालित रूप से शेष अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। किसी भी पक्ष द्वारा स्पष्ट 30 दिनों का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान दोनों पक्षों को केवल 15 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। संतोषजनक सेवाओं पर अनुबंध की अवधि अगले वर्षों के लिए भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 02 वर्ष के लिए।
2. चयनित फर्म को संस्थान के खाते में 01 दुकान के लिए रु.20,000/-(केवल बीस हजार) की सुरक्षा धनराशि जमा करनी होगी।
3. चयनित फर्म को आवेदन पत्र में अपना पूरा स्थायी और अस्थायी पता देना होगा।
4. चयनित फर्म को संस्थान के साथ एक समझौता करना होगा। अनुबंध की शर्तें, चयनित फर्म के लाइसेंस की शर्तें और पार्टी का स्वीकृति पत्र हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते का एक हिस्सा होगा। अनुबंध के लिए आवश्यक स्टाम्प पेपर की लागत चयनित फर्म द्वारा वहन की जाएगी ।
5. जिस फर्म का आवेदन/उम्मीदवारी स्वीकार की जाती है, उसे 10 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा और प्रस्ताव तिथि से 15 दिनों के भीतर दुकानें खोलनी होंगी। चयनित फर्म की ओर से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में किसी भी प्रकार की टाल-मटोल, इनकार अथवा देरी की स्थिति में, उसके आवेदन की स्वीकृति वापस ली जा सकती है और इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम है।
6. चयनित फर्म को 03 माह की परिवीक्षा अवधि के भीतर मुनिसिपल कॉरपोरेशन से दुकान एवं स्थापना पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत करने की बाध्यता होगी।
7. संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. दुकान चलाने और खोलने/बंद करने का समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
9. चयनित फर्म अपने कर्मचारियों का सत्यापन सिविल पुलिस से कराएगी। किसी भी उस कर्मचारी/आगंतुक को संस्थान के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसके पास संस्थान द्वारा जारी सुरक्षा पास नहीं होगा।

10. किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

11. दुकान के कर्मचारियों का वेतन चयनित फर्म द्वारा उनके बीच सहमति/समझौते से तय किया जाएगा। उसे उन्हें यथालागू भुगतान करना चाहिए और सफल पार्टी द्वारा किए गए ऐसे संवितरण का रिकॉर्ड रखना चाहिए। हालाँकि, वह सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा और दुकानदार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/श्रम अधिनियम, और किसी भी अन्य कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

12. ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों/मालिकों को: (i) शराब पिया हुआ अथवा नशे में नहीं होना चाहिए, (ii) अच्छा व्यवहार करना चाहिए, (iii) कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, (iv) साफ-सुथरा होना चाहिए।

13. चयनित फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद परिसर से नहीं बेचा जाएगा, जिसे किसी शैक्षणिक संस्थान के परिसर में बेचा जाना प्रतिबंधित है।

14. कर्मचारियों/मालिकों को परिसर का उपयोग निवास के रूप में नहीं करना चाहिए। स्वीकृत आधिकारिक समय से परे स्थान का उपयोग केवल विशेष उद्देश्यों (जैसे सामान प्राप्त करना, कीटाणुशोधन, सूची इत्यादि) के लिए किया जाना चाहिए।

15. चयनित फर्म द्वारा कीट/कृंतक नियंत्रण कम से कम त्रैमासिक आधार पर किया जाना चाहिए और कैंटीन के सूचना पट्ट(नोटिस बोर्ड) पर तारीख प्रदर्शित करनी होगी ।

16. चयनित फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि संस्थान में प्लास्टिक पॉलिथीन/बैग/बर्तन का उपयोग न हो।

17. ग्राहकों को खरीद धनराशि का उचित बिल/कैश मेमो तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

18. **आवश्यकता पड़ने पर दुकान पर ऑनलाइन भुगतान मोड जैसे एसओपी मशीन, पेटीएम आदि उपलब्ध होना चाहिए।**

19. संस्थान बिजली आपूर्ति के साथ दुकान के लिए जगह उपलब्ध कराएगा, लेकिन पार्टी को कोई फर्नीचर और फिक्सचर अथवा ऐसा कोई अन्य बुनियादी ढांचा प्रदान नहीं करेगा। पार्टी आवश्यकता के अनुसार अपने खर्च पर आवश्यक फर्नीचर और फिक्स्चर संस्थापित और व्यवस्थित करेगी।

20. निविदाकार को दुकान निर्धारित स्थान पर चलानी होगी।

21. चयनित फर्म को भारत सरकार के श्रम कानूनों और इस विलेख/समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए। कानून के अनुसार किसी भी बाल श्रमिक को सर्विसिंग के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

22. चयनित फर्म के पास दुकान चलाने के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान सहित संस्थान परिसर के किसी भी हिस्से पर कोई अधिकार, स्वामित्व अथवा हित नहीं होगा।

23. चयनित फर्म परिसर को किराये पर नहीं देगी/संशोधित नहीं करेगी अथवा कोई परिवर्तन नहीं करेगी। संस्थान को अपने विवेक से निर्धारित स्थान में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
24. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विक्रय हेतु प्रस्तावित वस्तुओं की सूची अनुमोदित की जानी है। दुकान में बेची जाने वाली किसी भी अतिरिक्त वस्तु के लिए संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
25. चयनित फर्म प्रत्येक समय यह सुनिश्चित करेगी कि अपशिष्ट और कचरे का निपटान प्रबंधन के अनुदेशानुसार और वायु और जल (प्रदूषण) अधिनियम के अनुसार सख्ती से किया जाए।
26. दुकान खोलने की अवधि - संस्थान के निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे (पारस्परिक रूप से तय समय) ।
27. चयनित फर्म को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे।
28. संस्थान प्राधिकारी की मंजूरी के बिना चयनित फर्म आंतरिक सज्जा का नवीनीकरण अथवा परिवर्तन नहीं करेगी। यदि मंजूरी मिल जाती है तो इसमें लगने वाली लागत पार्टी द्वारा वहन की जाएगी।
29. दुकान में कोई भी वस्तु हो, उसका विक्रय मूल्य एमआरपी मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो, तो एमआरपी पर उचित छूट प्रदान की जाएगी।
30. चयनित फर्म को प्रत्येक दुकान के लिए प्रतिमाह रु.1,500 (केवल एक हजार पांच सौ रुपये) की धनराशि संस्थान को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अग्रिम रूप से जमा करना होगा और रसीद/चालान की प्रति एफआईसी (एसए) कार्यालय में जमा करनी होगी ।
31. प्रत्येक माह किराया सख्ती से अग्रिम रूप से भुगतान किया जाना चाहिए अन्यथा अगले महीने का किराया पिछले महीने से दोगुना हो जाएगा और पिछले दो महीने का किराया न चुकाने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित फर्म को पूर्व सूचना दिए बिना दुकान को सील कर दिया जाएगा और अनुबंध रद्द माना जाएगा।
32. लंबे समय से लंबित किराया और अन्य शुल्क के मामले में संस्थान दुकान को सील करने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है और अंदर रखे सामान तथा फर्नीचर के लिए नीलामी की आगे की प्रक्रिया की जाएगी ।
33. अनुबंध पूरा होने/समाप्ति के बाद पार्टी को परिसर खाली करना होगा और एनओसी जमा करने की तारीख तक किराया देना होगा।
34. चयनित फर्म दुकानों के पानी और बिजली शुल्क का वास्तविक खर्च वहन करेगी, जिसे प्रत्येक महीने संस्थान के खाता कार्यालय में जमा किया जाना है, उसकी एक प्रति एफआईसी (एसए) कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। ट्यूब बल्ब आदि की संस्थापना/प्रतिस्थापन पार्टी की जिम्मेदारी होगी।
35. चयनित फर्म सामान्य रूप से धारा 1.4 में उल्लिखित अनुसार **प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे** तक दुकान चलाएगी। आपातकालीन स्थिति में एक अथवा दो दिन के लिए दुकान बंद करने के लिए चयनित फर्म को सक्षम प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बिना

अनुमोदन के दुकान बंद रखने पर पार्टी पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर रु.250/- प्रतिदिन अथवा उससे अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा।

36. वस्तुएं नकद पर बेची जाएंगी। संस्थान किसी भी तरह से किसी को उधार पर वस्तुएं बेचने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और बिक्री कर / व्यापार कर / आयकर देनदारियों / श्रम कानून देनदारियों के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।

37. संस्थान के निदेशक को बिना कोई कारण बताए अनुबंध रद्द करने का अधिकार है।

38. दुकान में पुराना/बासी/एक्सपायर्ड(अर्थात् समाप्ति तिथि के बाद का) सामान नहीं रखना चाहिए।

39. सक्षम प्राधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि समय-समय पर समग्र स्वच्छता, गुणवत्ता और वस्तुओं की समाप्ति तिथि की जांच कर सकता है। दुकान में कम गुणवत्ता/एक्सपायरी सामान रखने पर पार्टी पर प्रति घटना पर रु.1000/- अथवा समिति द्वारा उचित समझे जाने पर अधिक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि दुकान और आसपास का परिसर गंदा पाया जाता है, तो रु.1000/- का जुर्माना और समिति द्वारा उचित समझे जाने पर आसपास की सफाई कराने की वास्तविक लागत पार्टी पर लगाई जाएगी।

40. चयनित फर्म सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना दुकान के बाहर विज्ञापन (उसके काम के दायरे से अप्रासंगिक) प्रदर्शित अथवा प्रकाशित नहीं करेगी।

41. किसी भी विवाद की स्थिति में, निदेशक, पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर, मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे जिनका निर्णय अंतिम होगा।

42. दुकान में शराब, शराब, गुटका, सिगरेट और नशीली दवाओं के उपयोग और बिक्री की अनुमति नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी इनमें से किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में पार्टी तुरंत कुलसचिव/एफआईसी (विद्यार्थी) को सूचित करेगी।

43. चयनित फर्म सुझाव पुस्तिका बनाए रखेगी जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मासिक हस्ताक्षर किए जाएंगे।

44. चयनित फर्म के पास दुकान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए, धनराशि का प्रमाण कोटेशन के साथ जमा करना होगा।

45. आवेदकों को संबंधित दस्तावेज़ की प्रतियां {जैसे मार्कशीट, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, अनुबंध की प्रतियां आदि} जमा करना आवश्यक है। जबलपुर शहर में दुकान खोलने से संबंधित दुकानों के आबंटन और अन्य कानूनी दस्तावेजों में प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए, जहां भी लागू हो जैसे - जीएसटी, टिन, खाद्य लाइसेंस, श्रम प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक गैस कनेक्शन प्रमाणपत्र इत्यादि।

46. दुकान आबंटन के बाद चयनित फर्म को अनुबंध की प्रति हमेशा काउंटर पर रखनी होगी, निरीक्षण के दौरान दुकान पर न पाए जाने पर दुकान आबंटन रद्द किया जा सकता है तथा एफआईसी (एसए) का निर्णय अंतिम होगा।

47. आवेदकों को पिछले 02 वर्षों के दौरान अपने व्यवसाय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

48. उपर्युक्त के अलावा यदि कोई व्यक्ति (जैसे भूतपूर्व सैनिक/विधवा महिला/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) जो उपर्युक्त दुकानें खोलना चाहता है तो वह भी अपनी रुचि प्रस्तुत कर सकता है और समिति द्वारा उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है।

49. यह अनुबंध जबलपुर (एमपी) के कानूनी क्षेत्राधिकार के अधीन है।

50. आवेदक द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिए।

51. **एक आवेदक को केवल 01 दुकान के लिए आवेदन करने की अनुमति है।**

52. वस्तुएं और दर सूची **अनुलग्नक-**5**ए और** 5**बी (नॉन-वेज और नाश्ता कॉर्नर)**, **अनुलग्नक-**6 (**फल और फलों का रस / सब्जी)**, **अनुलग्नक-**7 (**चाय / कॉफी शॉप)** के रूप में संलग्न है। किराना दुकानों के लिए वस्तुओं की सूची में किराना/दैनिक आवश्यकता से संबंधित सभी वस्तुएं शामिल होंगी लेकिन स्टेशनरी की वस्तुएं शामिल नहीं होंगी।

कुलसचिव

मैं उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम :..

पता :..

दिनांक :......................

<u>आवेदन फार्म</u>

फोटो

समिति,

1) **नॉन-वेज और ब्रेकफ़ास्ट कॉर्नर**
2) **किराना की दुकान**
3) **फल एवं फलों का रस/सब्जी**
4) स्टेशनरी की **दुकान**
5) **चाय/कॉफ़ी की दुकान**

महोदय/महोदया,

मुझे शुरू में 24 महीनों के लिए ____ चलाने में रुचि है। कृपया मेरी उम्मीदवारी पर विचार करें। मैंने इस ईओआई के कार्य के दायरे और नियम व शर्तों को पढ़ लिया है और यदि मुझे____ ____________________ (दुकान का नाम) का अनुबंध दिया जाता है, तो मैं इनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम :...

पिता का नाम :...

वर्तमान पता :...

स्थायी पता :...

:...

मोबाइल नं. :...

जाँच सूची :

संलग्नक: (कृपया जो लागू हो उसके नीचे टिक√ करें)

1. आधार कार्ड
2. अनुभव की प्रतिलिपि
3. एफएसएसएआई लाइसेंस
4. लेबर लाइसेंस
5. पैन नंबर की कॉपी
6. जीएसटी नंबर (यदि लागू हो)
7. वाणिज्यिक गैस कनेक्शन
8. चालू बैंक खाता/बैंक स्टेटमेंट (पिछले 01 वर्ष)/आईटी रिटर्न

<u>वचनबंध</u>

1. मैं/हम वचन देते हैं कि मैंने/हमने सभी नियमों और शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर के प्रस्तावित कार्य के मापदंडों को समझ लिया है और उनका पालन करूंगा/करूंगी।

2. मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि मैंने/हमने "कार्य संचालन के लिए पैरामीटर और तकनीकी विशिष्टताओं" को समझ लिया है और इन मापदंडों के अनुसार सख्ती से कार्य का संचालन करेंगे।

3. मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि फर्म को किसी भी सरकारी विभाग अथवा संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है।

4. मैं/हम आगे यह वचन देते हैं कि इस ईओआई में दी गई जानकारी सभी मामलों में सत्य और सही है और हम इसके लिए ज़िम्मेदार हैं।

दिनांकित: ____________

(फर्म की मुहर सहित
आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान : ____________

मांसाहारी वस्तुओं की दर-सूची

क्रमांक	वस्तुओं के नाम	मात्रा- हाफ प्लेट	हाफ प्लेट रेट	मात्रा-फुल प्लेट	फुल प्लेट रेट
1	अंडा करी	01 अंडा	30/-	02 अंडा	**50/-**
2	अंडा रोल	02 अंडा	40/-	04 अंडा	60/-
3	चिकन मलाई टिक्का	03 चिकन पीस	**80/-**	06 चिकन पीस	160/-
4	बटर चिकन	03 चिकन पीस	125/-	06 चिकन पीस	250/-
5	चिकन टिक्का मसाला	03 चिकन पीस	80/-	06 चिकन पीस	160/ -
6	चिकन तंदूरी		150/-		250/-
7	चिकन 65	हाफ प्लेट	100/-	फुल प्लेट	200/-
8	चिकन चावल	03 चिकन पीस	90/-	06 चिकन पीस	160/-
9	चिकन बिरयानी	03 चिकन पीस	90/-	06 चिकन पीस	160/-
10	चिकन मंचूरियन	हाफ प्लेट	90/ -	फुल प्लेट	180/-
11	सीख कबाब (चिकन)	01 स्टिक (4 पीस)	50/-	02 स्टिक (08 पीस)	100/-
12	चिकन रोल	01 पीस	50/-	02 चित्र.	100/-
13	चिकन करी	03 चिकन पीस	60/-	06 चिकन पीस	120/-
14	मटन करी	03 मटन पीस	125/-	06 मटन पीस	250/-
15	मटन मसाला	03 मटन पीस	115/-	06 मटन पीस	225/-
16	मटन मुगलई	03 मटन पीस	125/-	06 मटन पीस	250/-
17	मटन कराही	03 मटन पीस	125/-	06 मटन पीस	250/-
18	मटन रोगन जोस्ट	03 मटन पीस	125/-	06 मटन पीस	250/-
19	मटन कबाब	03 मटन पीस	100/-	06 मटन पीस	200/-
20	मटन बिरयानी	03 मटन पीस	100/-	06 मटन पीस	200/-
21	तवा चपाती	01 पीस	8/-	02 पीस	15/-
22	तंदूरी चपाती	01 पीस	10/-	02 पीस	20/-
23	मछली टिक्का	03 पीस	120/-	6 पीस	200/-
24	मछली करी	03 पीस	120/-	06 पीस	200/-

अनुलग्नक-5 (बी) ब्रेकफास्ट वस्तुओं के लिए

ब्रेकफास्ट/स्नेक्स वस्तुओं की दर-सूची

क्र.सं.	शाकाहारी (ब्रेकफास्ट)	दर	शाकाहारी +नॉन-वेज (शाम का स्नेक्स)	दर
1	पोहा/उपमा	15 प्रति प्लेट 150 ग्राम	मंगोर/भजिया + (चाय कॉमन)	30/35 प्रति प्लेट
2	इडली/वड़ा/डोसा/उत्तपम	30 प्रति प्लेट	भुना हुआ चना/मुंगफली/भेलपुरी	30/40 प्रति 100-150 ग्राम
3	सभी प्रकार के पराठा	15/20	आलू टिक्की/चाट	25 प्रति प्लेट
4	समोसा/आलू बांदा/शाकाहारी पैटीज़	10 प्रति पीस	चाउमीन/मुनचूरियन/वेज कटलेट/फ्राइड राइस	35/40 प्रति प्लेट
5	फल/अंकुरित	15 प्रति प्लेट	दूध 200 मि.ली	20 प्रति गिलास
6	कॉफ़ी/चाय 80 मि.ली	08/-	फुल्की -8 पीस	20 प्रति
7			शाकाहारी मोमोज - 6 पीस	25 प्रति
8			पनीर मोमोज़ - 6 पीस	40 प्रति
9			नॉन-वेज मोमोज- 6 पीस	60 प्रति

-

अनुलग्नक-6 (फल एवं फलों का रस/सब्जी के लिए)

फल एवं फलों का रस/सब्जी की दर सूची

क्रमांक	वस्तुओं के नाम	गिलास में मात्रा	
		छोटा (250 एमएल)	बड़ा(350 एमएल)
1	मिक्स जूस	30	60
2	मोसंबी जूस	30	60
3	अनानास का रस	30	60
4	संतरे का रस	30	60
5	अनार का रस	40	70
6	वेजेटेबल रस	30	60
7	आम का रस	40	80
8	अनानास का रस	30	60
9	गाजर का रस	20	40
10	केले का शेक	20	40
11	बटॅर शेक	30	60
12	वेनिला शेक	30	60
13	मैंगो शेक	20	50
14	चॉकलेट शेक	30	60
15	स्ट्रॉबेरी शेक	30	60
16	पपीता शेक	20	40
17	एप्पल शेक	30	60
18	कीवी शेक	30	60
19	रूहाब्ज़ा शेक	20	40
20	केसर पिस्ता शेक	30	60
21	बादाम शेक	40	80
22	ब्लेक करंट	30	60
23	ड्राई फ्रूट्स सहित लस्सी	30	60

अनुलग्नक -7 (चाय/कॉफी की दुकान के लिए)

चाय/कॉफी की दुकान की दर-सूची

क्रमांक	वस्तु का नाम	मात्रा	दर
1	गर्म दूध	200 एमएल (1 गिलास)	20
2	चाय	80 एमएल (01 कप)	8
3	ग्रीन चाय	80 एमएल (01 कप)	10
4	मसाला चाय	80 एमएल (01 कप)	10
5	लेमॅन चाय	80 एमएल (01 कप)	10
6	बोर्नविटा दूध	200 एमएल (1 गिलास)	35
7	ब्रेड जैम	02 पीस	15
8	ब्रेड बटर	02 पीस	15
10	ब्रेड टोस्ट जैम	02 पीस	20
11	ब्रेड टोस्ट बटर	02 पीस	25
12	हॉट कॉफी	80 एमएल (01 कप)	10
13	कोल्ड कॉफी	150 एमएल (01 कप)	30
14	प्याज के पकोड़े	50 ग्राम	10
15	शाकाहारी सैंडविच	02 स्लाइस	30
16	शाकाहारी चीज़ सैंडविच	02 स्लाइस	40
17	टोस्टेड चीज़ मसालेदार	02 स्लाइस	50
18	पैटीज़	01 पीस	15
19	पनीर पैटीज़	01 पीस	35
20	वेज चीज़ कॉर्न सैंडविच	01 पीस	40
21	वेज बर्गर	01 पीस	35
22	वेज चीज़ बर्गर	01 पीस	50